भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2330
दिनांक 16.03.2022 को उत्तर देने के लिए

आकांक्षी जिले

2330. श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री दिलीप शइकीया:
श्रीमती रीती पाठक:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिलों, बिहार के सुपौल जिला, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला और जम्मू-कश्मीर के जिलों को भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीएसआर निधि से देश भर में चयनित आकांक्षी जिलों को आवंटित और प्राप्त निधियों का क्षेत्र-वार/कार्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निधि को निर्धारित समय-सीमा के अंदर खर्च कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की है?

उत्तर
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) आकांक्षी जिला कार्यक्रम को अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों में तेजी से परिवर्तन लाने हेतु वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 112 आकांक्षी जिले

हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, इन 112 आकांक्षी जिलों में मध्यप्रदेश के आठ (8) जिले, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड राज्य के अठारह (18) अन्य जिलों के साथ) और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों को कवर किया गया है। इनका चयन प्रकाशित डेटा के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। आकांक्षी जिलों की सूची के साथ इन जिलों के चयन हेतु डेटा सेट और उनसे जुड़े भारांक ***अनुलग्नक-I*** में संलग्न है। इस पद्धति के अनुसार, आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए जिलों ने 2018 में सुपौल जिला द्वारा दर्शाई गई प्रगति से भी समग्र रूप से कम प्रगति दिखाई है और इसलिए सुपौल जिले को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम एवं कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की अनुसूची VII के माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है। कानूनी ढांचे के अनुसार सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। सीएसआर संरचना प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर पहलों का विवरण दर्ज कराना आवश्यक है। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दर्ज की गई सीएसआर से संबंधित सभी डेटा (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, विकास क्षेत्रवार, कंपनी वार तथा जिला वार) www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 (जिला वार और क्षेत्र वार) के लिए आकांक्षी जिलों में खर्च किया गया सीएसआर ***अनुलग्नक II*** में है।

(ङ) अधिनियम की धारा 135 को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत संशोधित किया गया था। इन संशोधनों में चल रही परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित सीएसआर धनराशि को एक विशेष खाते, नामत: अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित करने और अगले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 22 जनवरी 2021 से सीएसआर प्रावधानों के गैर-अनुपालन को सिविल दोष माना गया है।

*****

अनुलग्नक-I

112 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	ज़िला
1	आंध्रप्रदेश	विजयनगरम
2	आंध्रप्रदेश	विशाखापत्तनम
3	आंध्रप्रदेश	वाईएसआर कडपा
4	अरुणाचल प्रदेश	नमसाई
5	असम	ग्वालपाड़ा
6	असम	बारपेटा
7	असम	हैलाकांडी
8	असम	बक्सा
9	असम	दरांग
10	असम	उदालगुड़ी
11	असम	धुबरी
12	बिहार	सीतामढ़ी
13	बिहार	अररिया
14	बिहार	पूर्णिया
15	बिहार	कटिहार
16	बिहार	मुजफ्फरपुर
17	बिहार	बेगूसराय
18	बिहार	खगड़िया
19	बिहार	बांका
20	बिहार	शेखपुरा
21	बिहार	औरंगाबाद
22	बिहार	गया
23	बिहार	नवादा
24	बिहार	जमुई
25	छत्तीसगढ़	कोरबा
26	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
27	छत्तीसगढ़	महासमुंद
28	छत्तीसगढ़	कांकेर
29	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
30	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
31	छत्तीसगढ़	बीजापुर
32	छत्तीसगढ़	बस्तर
33	छत्तीसगढ़	कोंडागांव
34	छत्तीसगढ़	सुकमा
35	गुजरात	दाहोद
36	गुजरात	नर्मदा
37	हरियाणा	मेवात
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा
39	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	कुपवाड़ा
40	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला
41	झारखंड	गढ़वा
42	झारखंड	चतरा
43	झारखंड	गिरिडीह
44	झारखंड	गोड्डा
45	झारखंड	साहिबगंज
46	झारखंड	पाकुड़

47	झारखंड	बोकारो
48	झारखंड	लोहरदगा
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
50	झारखंड	पलामू
51	झारखंड	लातेहार
52	झारखंड	हजारीबाग
53	झारखंड	रामगढ़
54	झारखंड	दुमका
55	झारखंड	रांची
56	झारखंड	खूंटी
57	झारखंड	गुमला
58	झारखंड	सिमडेगा
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम
60	कर्नाटक	रायचूर
61	कर्नाटक	यादगीर
62	केरल	वायनाड
63	मध्यप्रदेश	छतरपुर
64	मध्यप्रदेश	दमोह
65	मध्यप्रदेश	बड़वानी
66	मध्यप्रदेश	राजगढ़
67	मध्यप्रदेश	विदिशा
68	मध्यप्रदेश	गुना
69	मध्यप्रदेश	सिंगरौली
70	मध्यप्रदेश	खंडवा
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार
72	महाराष्ट्र	वाशिम
73	महाराष्ट्र	गडचिरौली
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
75	मणिपुर	चंदेल
76	मेघालय	रिभोई
77	मिज़ोरम	मामित
78	नगालैंड	किफायर
79	ओडिशा	ढैंकनाल
80	ओडिशा	गजपति
81	ओडिशा	कंधमौल
82	ओडिशा	बलांगीर
83	ओडिशा	कालाहांडी
84	ओडिशा	रायगढ़
85	ओडिशा	कोरापुट
86	ओडिशा	मल्कानगिरी
87	ओडिशा	नवरंगपुर
88	ओडिशा	नुआपाड़ा
89	पंजाब	मोगा
90	पंजाब	फिरोजपुर
91	राजस्थान	धौलपुर
92	राजस्थान	करौली
93	राजस्थान	जैसलमेर

94	राजस्थान	सिरोही
95	राजस्थान	बारन
96	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम
97	तमिलनाडु	विरुधुनगर
98	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
99	तेलंगाना	आसिफाबाद
100	तेलंगाना	भूपलपल्ली
101	तेलंगाना	भद्राद्रि कोठागुडेम
102	त्रिपुरा	धलाई
103	उत्तरप्रदेश	चित्रकूट
104	उत्तरप्रदेश	फतेहपुर
105	उत्तरप्रदेश	बहराइच
106	उत्तरप्रदेश	श्रावस्ती
107	उत्तरप्रदेश	बलरामपुर
108	उत्तरप्रदेश	सिद्धार्थनगर
109	उत्तरप्रदेश	चंदौली
110	उत्तरप्रदेश	सोनभद्र
111	उत्तराखंड	ऊधम सिंह नगर
112	उत्तराखंड	हरिद्वार

-

<u>आकांक्षी जिलों के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट और भारांक की सूची</u>

डेटाबेस	क्षेत्र	भारांक
शारीरिक श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवार *(सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना-वंचन 7)*	वंचन (25%)	25 %
प्रसव-पूर्व देखभाल *[राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (एनएचएफएस)-4]*	स्वास्थ्य और पोषण (30%)	7.5 %
सांस्थानिक प्रसव *(एनएचएफएस-4)*		7.5 %
5 वर्ष से कम के बच्चों का अवरुद्ध विकास *(एनएचएफएस-4)*		7.5 %
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यक्ष्मा रोग *(एनएचएफएस-4)*		7.5 %
प्रारंभिक स्कूल छोड़ने की दर *[एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) 2015-16]*	शिक्षा (15%)	7.5 %
प्रतिकूल विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात *(यू-डीआईएसई 2015-16)*		7.5 %
बिजलीरहित परिवार *(विद्युत मंत्रालय)*	इन्फ्रा (30%)	7.5 %
व्यक्तिगत शौचालय रहित परिवार *(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)*		7.5 %
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अछूते गांव *(ग्रामीण विकास मंत्रालय)*		7.5 %
जल सुविधारहित ग्रामीण परिवार *(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)*		7.5 %
कुल		**100%**

वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आकांक्षी जिलों में सीएसआर का जिला वार विवरण (31.12.2021 **तक का डेटा**)

आकांक्षी जिला	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21
कडपा	3.17	1.49
विशाखापट्टनम	26.05	38.89
विजयनगरम	2.49	2.16
नामसाई	0	0
बक्सा	0.23	0
बारपेटा	13.89	4.73
दरांग	15.61	3.48
धुबरी	2.88	0.02
गोलपाड़ा	0	0
हैलाकांडी	0	0
उदलगुड़ी	0	0
अररिया	0.11	0
औरंगाबाद	0.80	1.23
बांका	0	0.02
बेगूसराय	3.50	3.26
गया	2.17	1.05
जमुई	0.44	0
कटिहार	0.06	0.23
खगड़िया	0	0
मुजफ्फरपुर	0.73	3.24
नवादा	2.13	0
पूर्णिया	0	0.14
सीतामढ़ी	4.79	0
बस्तर	0	4.98
बीजापुर	0	1.79
दंतेवाड़ा	0	12.13
कांकेर	0	0.09
कोरबा	15.25	17.82
महासमुंद	1.78	0
नारायणपुर	2.20	1.99
राजनंदगांव	4.82	2.77
सुकमा	0.23	1.19
दाहोद	31.36	92.50
नर्मदा	1.81	0.73
मेवात	3.36	4.23
चंबा	0.21	5.71
बारामूला	0	11.01
बोकारो	1.99	0.10
छत्र	0	0.20
दुमका	0.73	1.50
पूर्वी सिंहभूम	6.90	11.98
गिरिडीह	1.48	1.13
गोड्डा	7.95	2.70
गुमला	0.25	0.26

हजारीबाग	1.09	1.26
खूंटी	0.21	1.42
लातेहार	0	0
पाकुड़	0	0.50
पलामू	2.36	
रामगढ़	0.12	0.38
रांची	6.90	5.79
साहेबगंज	0.01	0.18
सिमडेगा	0.03	0.52
पश्चिम सिंहभूम	3.25	1.95
रायचुर	4.51	1.72
यादगीर	1.64	0.97
वायनाड	3.05	1.19
बड़वानी	2.12	0.25
छतरपुर	0.43	0.21
दमोह	1.69	1.82
गुना	0.53	3.00
खंडवा	12.82	6.99
राजगढ़	1.54	0.27
सिंगरौली	0.13	72.88
विदिशा	0	0
गडचिरोली	1.38	8.88
नंदुरबारी	8.71	16.53
उस्मानाबाद	2.66	2.66
वाशिम	0.48	0.10
चंदेल	0.13	
री भोई	0.16	0.00
बलांगीर	0.06	9.53
ढैंकनाल	4.70	3.32
गजपति	0	0
कालाहांडी	10.50	7.27
कंधमाली	1.12	0
कोरापुट	15.13	13.22
मल्कानगिरी	0.02	0
नबरंगपुर	0.01	0
नुआपाड़ा	0.30	0.01
रायगढ़	6.09	2.66
फिरोजपुर	0.16	0.66
मोगा	1.22	0.33
बारन	5.68	0.40
धौलपुर	0.52	0.06
जैसलमेर	3.40	0.23
करौली	3.04	9.13
सिरोही	4.56	2.28
पश्चिम सिक्किम	0	0.50
रामनाथपुरम	7.42	13.49
विरुधुनगर	13.88	14.66

भद्राद्री कोठागुडेम	3.38	3.60
आसिफाबाद	0	0.04
धलाई	0.48	0.24
बहराइच	0.33	0.91
बलरामपुर	0.82	0.91
चंदौली	0	0.89
चित्रकूट	0	0.30
फतेहपुर	0.24	0.23
श्रावस्ती	0.01	0.33
सोनभद्र	1.15	25.03
हरिद्वार	28.07	33.03
उधम सिंह नगर	8.73	8.86
कुल	**336.32**	**516.34**

<u>वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आकांक्षी जिलों में सीएसआर का क्षेत्र वार विवरण</u> (31.12.2021 **तक का डेटा**)

क्रम सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**
1	कृषि वानिकी	0.96	0
2	पशु कल्याण	1.39	0.72
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	0.31	0.12
4	कला और संस्कृति	5.23	1.04
5	स्वच्छ गंगा कोष	0.01	0
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.42	5.13
7	शिक्षा	116.19	169.41
8	पर्यावरणीय संधारणीयता	7.82	20.32
9	लैंगिक समानता	0.60	0.67
10	स्वास्थ्य देखभाल	101.59	181.52
11	आजीविका विकास परियोजनाएं	5.53	11.41
12	अन्य केंद्र सरकार के कोष	1.80	1.21
13	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	10.25	11.40
14	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	0.64	7.13
15	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	22.25	51.08
16	सुरक्षित पेयजल	8.25	9.00
17	स्वच्छता	17.50	19.07
18	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.90	2.23
19	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	1.14	0.27
20	अनाथालय की स्थापना	0.39	0.06
21	स्लम क्षेत्र का विकास	0.86	0.38
22	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	1.57	1.06
23	विशेष शिक्षा	8.97	1.37
24	स्वच्छ भारत कोष	1.96	0.53
25	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	0.50	0.05
26	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	7.95	5.71
27	व्यावसायिक कौशल	5.33	13.03
28	महिला सशक्तिकरण	4.99	2.43
	कुल योग	**336.32**	**516.34**

नोट 1: छूटे आठ जिलों के आंकड़े फाइलिंग में उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक रिक्त मूल्यों का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि कभी-कभी कंपनियां फाइलिंग में परिव्यय के साथ परियोजना का उल्लेख करती हैं, तथापि खर्च में वे "0" भरती हैं या खाली छोड़ देती हैं।

नोट 2: : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डेटा परिवर्तन के अधीन है क्योंकि देर से फाइलिंग करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने में 15.03.2022 तक छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फाइलिंग चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही अपेक्षित है।